न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 136 / 2022

1 लीलाराम पुत्र स्व. जमना, जाति मीणा निवासी नेवरी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

2 बनवारी पुत्र स्व. ज़मना जाति मीणा निवासी नेवरी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

3 देबुराम पुत्र स्व जमना जाति मीणा निवासी नेवरी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

4 श्रीमती सुमन पत्नी स्व. रामकिशोर श्रीमती सुमन पत्नी स्व. रामकिशोर जाति मीणा निवासी नेवरी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

5 राहुल उम्र 10 साल पुत्र स्व. रामकिशोर जाति मीणा निवासी नेवरी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.। नाबालिग जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड श्रीमती सुमन पत्नी स्व. रामकिशोर जाति मीणा निवासी नेवरी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

6 गोपाल पुत्र स्व. सुवा जाति मीणा निवासी नेवरी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

7 जयसिंह पुत्र स्व. सुवा जाति मीणा निवासी नेवरी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

8 श्रीमती धापली पत्नी स्व. सुवा जाति मीणा निवासी नेवरी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर टी एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिकी बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू बमुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती जमना मीणा वगै. दाव्रा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं. 293/2014
निर्णय व डिकी दिनांक 06.06.2017

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.8.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 293/2014 में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1112 रकबा 2.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.04 हैक्टेयर ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने उक्त भूमि को अकृषि कार्यों के लिय काम आना बताकर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के न्यायालय में धारा 177 आर. टी.एक्ट 1955 का वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.06.2017 को विचाराधीन निर्णय पारित कर स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता जरिये वकील उपस्थित हुये थे। अपीलांट के पिता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज थी। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग साबित पाये जाने पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज थी।ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर